

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :10/परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/EP-I/2017-18

दिनांक : 29.03.2018

आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 के अन्तर्गत प्राध्यापक (विद्यालय) के निम्नलिखित विषय पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाईहै तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय का नाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य			आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)													
						अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			विशेष योग्यजन (Horizontal)	
			सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला			
1	हिन्दी	35	12	4	1	-	5	1	-	-	4	1	-	-	5	2	-	-	1 (B/LV), 1 (LD/CP)
2	अंग्रेजी	35	13	4	1	-	4	1	-	-	4	1	-	-	5	2	-	-	1 (B/LV), 1 (LD/CP)
3	व्याकरण	20	7	3	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	1 (B/LV)
4	सामान्य व्याकरण	20	7	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	1	-	-	1 (B/LV)
5	साहित्य	20	8	3	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	1 (B/LV)
6	इतिहास	04	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (B/LV)

नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब-साईट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

शैक्षणिक योग्यताएं (उक्त सभी विषय पदों के लिए) :

(i)Second Class Post graduate degree in the concerned subject having minimum 48% marks with Shiksha Shastri/B.Ed. degree.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

आयु सीमा-दिनांक 01.07.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। | रानिंग पे-बैण्ड-पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (ग्रेड पे रु. 4800/-)

क्र.सं.	आयु सीमा में छूट के प्रावधान						अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
	अभ्यर्थियों का वर्ग						
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिला						5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला						10
3.	विधवा एवं विचिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला						अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य					10
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग					13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति					15

नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है—“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”

क्र.सं.	अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान												अधिकतम आयु सीमा में देय छूट (वर्षों में)	
	अभ्यर्थियों का वर्ग													
1	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।													
2	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।													
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिवर्णित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।													
4	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।													
5	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियोंएवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपरिवर्णित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।													
6	1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।													
7	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में Substantive हैसीयत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।													

नोट-

- (1) उपरोक्त वर्षित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्षित किया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे— आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रियायतों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- (3) उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2010 या इससे पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था/ अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2018 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण

अनेक पदों के लिए आवेदन	यदि कोई अभ्यर्थी प्राध्यापक (विद्यालय) के एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु परीक्षा शुल्क पृथक् से जमा करावाना होगा और प्रत्येक विषय के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन भी कराना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes विलक करें और तदुपरात उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम प्रश्न-पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी रिश्ति में केवल द्वितीय प्रश्न-पत्र हेतु उन्हें पृथक्-पृथक् परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जायेगा।	
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में समिलित हुआ हो या समिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अंजित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राज्य के सभी जिला /संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित कर दी जायेगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवान्तन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रूप से विवरणित किया जायेगा। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों म	

	<p>3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर RecruitmentPortal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।</p> <p>4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।</p> <p>5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।</p> <p>6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।</p>
ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधनदिनांक 10–05–2018 से दिनांक 16–05–2018 तक 12–00 बजेतक।

विशेष नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरात्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Lecturer (School)

- The competitive examination shall carry 450 marks.
- There will be two Papers. Paper-I shall be of 150 marks and Paper-II shall be of 300 marks. Duration of Paper-I shall be one and half hours and the duration of Paper-II shall be three hours.
- All the questions in both the Papers shall be multiple choice type questions.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, one-third of marks prescribed for that particular question can be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- Subjects included in both the Papers and the marks given to them are shown in the tables below.

Paper-I General Awareness and General Studies

Duration: One hour and thirty minutes

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement.	15	30
2.	Mental Ability Test, Statistics (secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test: Hindi, English	20	40
3.	Current Affairs	10	20
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan	15	30
5.	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
Total		75	150

Paper-II Subject concerned

Duration: 3 hours

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Senior Secondary Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Graduation Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Post-Graduation Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning	30	60
Total		150	300

विशेष सूचना :- "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थीयों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव